

सं0सं0-9/कोर्ट-10-26/2018

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

डा0 वैजनाथ सिंह तत्कालीन सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर दिनांक 28.02.10 को सेवानिवृत हुए है और उनके विरुद्ध निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 578/2008-09, 857/2009-10 एवं 888/2009-10 में महालेखाकार द्वारा 3,23,91,366/- (तीन करोड तेइस लाख इक्यानवे हजार तीन सौ छियासठ) रूपये की अनियमितता का आरोप प्रतिवेदन में सन्निहित है। उक्त मामले में विभाग द्वारा विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग ने अपने परामर्श में कहा है कि डा0 सिंह वर्ष 2010 में ही सेवानिवृत हो चुके थे और वर्ष 2010 में ही महालेखाकार द्वारा एक बड़ी राशि के गबन की सूचना विभाग को दी थी, परन्तु आज तक न तो कोई आपराधिक और न ही कोई विभागीय कार्यवाही की गयी उक्त मामले में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (क) लागू नहीं होती है।

अतः सम्पूर्ण मामले की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से डा0 वैजनाथ सिंह तत्कालीन सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर को आरोप मुक्त किया जाता है।

ह0/-

(विवेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:

869 (9)

/स्वा0, पटना, दिनांक:

27/8/2019

- प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अपर- निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर /सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- डा0 वैजनाथ सिंह तत्कालीन सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 9, एवं 10,17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव